भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4547

उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल

4547. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तराखंड के 92 मदरसों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने की घटनाओं की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है और यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम रहे हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट ऑडिट तंत्र या डिजिटल सत्यापन प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): जी, हाँ। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उठाई गई शिकायतों के आधार पर, उत्तराखंड राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संदिग्ध संस्थानों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें मदरसे भी शामिल हैं। इस मामले में, दिनांक 24.07.2025 के आदेश के तहत, उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितताओं से संबंधित मामलों की जाँच हेतु एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया है।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं, अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्तियों का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (APBS) के साथ-साथ आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली अनिवार्य है। यह वितरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड में किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित एक वेब-आधारित वित्तीय प्रबंधन एप्लीकेशन है।

*****